भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:टैरिफ दर

Reference No.: **Date:**05/01/2007

टैरिफ दर

यह एक गलत धारणा है कि यद्यपि फायर इंजीनियरिंग और मोटर ओन डैमेज, डीटैरिफ्ड हैं, बीमाकर्ता फायर एवं इंजीनियरिंग के संबंध में पूर्व टैरिफ की तुलना में केवल **20%** और मोटर ओन डैमेज के लिए प्राप्त करने की दर की तुलना में केवल **10%** प्रभार लगाने को बाध्य हैं । यह धारणा संभवत: आईआरडीएआई द्वारा जारी दो परिपत्रों दिनांकित **29** नवंबर, **2006** और **15** दिसंबर, **2006** पर आधारित है । इन परिपत्रों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए । ये परिपत्र बीमाकर्ताओं, द्वारा फाइल एवं यूज 'क्रियाविधि के अंतर्गत अपनी संशोधित दरें' दायर करने से पूर्व जारी किये गये थे, जिनके अंतर्गत बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे उन दरों को अपनाने का औचित्य दर्शाते हुए अपनी नयी दरें आईआरडीए के पास फाइल करें ।
बीमाकर्ताओं ने सूचित किया है कि आईआरडीए के विचाराधीन उन्हें अपने ग्राहकों को नवीकरण नोटिसें जारी करना होता है और वे जानना चाहते थे कि उन नवीकरण नोटिसों में क्या प्रीमियम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । आईआरडीए ने सूचित किया है कि फायर एवं इंजीनियरिंग के मामले में वे दरों को **20%** और मोटर के मामले में **10%** तक कम कर सकते हैं, और यदि वे इन सीमाओं से कम दर अपनाना चाहते हैं तो उन्हें दरें फाइल करना और प्राधिकरण द्वारा विचार किये जाने का इंतजार करना होगा ।
इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जनवरी माह, **2007** के लिए नवीकरण नोटिसें भेजने के सीमित उद्देश्य से **20%** और **10%** कमी करना केवल सांकेतिक ही है ।
बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल की गई दरों की आईआरडीएआई द्वारा समीक्षा की गई और **30** दिसंबर **2006** को बीमाकर्ताओं को स्वीकृत दरों के संबंध में सूचित किया गया । इसलिए अब बीमाकर्ताओं के पास कटौति के कारकों सहित संशोधित दरें उपलब्ध हैं और वे अब जनवरी माह **2007** में नवीकरण के साथ – साथ नये व्यापार के लिए भी उन दरों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं । **20%** और **10%** का अंतरिम व्यवस्था "फाइल एवं यूज" प्रणाली के तहत बीमा कंपनियों द्वारा फाइल की गई दरों की मंजूरी के साथ वापस ले ली गई है ।

सी.एस.राव
अध्यक्ष